

वाणिज्य – अज 22

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
केम्प – बांसवाड़ा

क्र.अविविनिलि / अआ(वाणिज्य) / प्र० 2093 अजमेर 16.3.2001

आदेश

विषय:— दिनांक 29.3.96 से 7.6.98 तक जारी नर्सरी कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट में परिवर्तन करने बाबत् ।

मण्डल के आदेश क्रमांक राराविमं/उमुआ/ग्रावि. अनु-9 प्र० 51 दिनांक 22.6.2000 (आर.ई.ए० 207) के बिन्दु संख्या 14 एवं रूपष्टीकरण संख्या 897 दिनांक 12.7.2000 (आर.ई.ए. 210) के अनुसार 29.3.98 से 7.6.98 को छोड़कर 31.3.2000 तक जारी नर्सरी श्रेणी के समरत कनेक्शनों के जारी होने के दो साल पश्चात विद्युत बिल साधारण श्रेणी की फ्लेट रेट की दर से करने के आदेश हैं। दिनांक 29.3.98 से 7.6.98 तक जारी किये गये नर्सरी कनेक्शनों को उनके समकक्ष तिथि की सामान्य श्रेणी की वरीयता के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि से विद्युत बिल सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट से जारी करने के आदेश हैं।

इस सम्बन्ध में अकाल की स्थिति एवं उक्त उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 31.3.2000 तक जारी नर्सरी श्रेणी के समरत कनेक्शनों को उनके जारी होने के दो वर्ष पश्चात विद्युत बिल सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट की दर से जारी किया जावे।

४-(१०)
(के०-एस०-सठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1 — सम्भागीय मुख्य अभियन्ता () अजमेर डिस्कॉम,
 - 2 — अधीक्षण अभियन्ता () अजमेर डिस्कॉम
 - 3 — अधिशासी अभियन्ता () अजमेर डिस्कॉम
- को अतिरिक्त 4 प्रतिलिपियों सहित उनके अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं को प्रेषित करने हेतु ।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार

- 4 — वरिष्ठ लेखाधिकारी () अजमेर डिस्कॉम
- 5 — निजी सहायक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ ।

(आर.ई.ए० कोली)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
अजमेर डिस्कॉम, अजमेर

अजपैर विद्युत वितरण नियम नियमित

क्रांक/विविध नियम/अज(राज एं जंग)/प. 120। /प. 26.

जामूर नियम 13 NOV 2000

मालेश

नियमः - कुओं का जल निया रखार पर बढ़े जाने के कारण अस्थाई चौर कृषि
कलाने के कानून में।

कृषि कलाने विद्या विद्या के आधेश क्रांक राजनीति/कानून/पात्र/अनु. 9/प्र. 5।
आगंतुक नियम 22.6.2000 के भौत 2 (अ) में अधिक प्राविधिक गैंगोली कर जाकर
की स्थिति एवं कुओं का जल निया रखार पर बढ़े जाने में कारण 6 याहू की अन्ति के 6 याहू तक
चकाया जाता है। यह सुनिया 3 1.1.2004 तक विद्युत विविध कराने वाले उत्तरांशों को ही
उपलब्ध रहेगी। अन्य प्राविधिक यथावत रहेगी।

इसके हिस्से उपलब्धता की अस्थाई चौर पर कलेवगन कलाने का प्राविधिक पर कुछ के रूपमें
का प्राविधिक पर जो साधारणता पर्याप्त, सारांश एवं विभिन्न अधिकारी द्वारा संकुप्त रूप से प्राविधिक
हो, के साथ साधारणता पर्याप्त अधिकारी के कानूनों में देखा दिया। इस तरह इस के अन्तर्गत
अस्थाई चौर पर कृषि कलेवगन कलाने की सीमित साधारणता अधिकारी अंति करना द्वारा जारी
की जाएगी।

यह आदेश उत्तरांश प्रभाव से लागू होगा।

१०१८
(प्र.प्र. शंकर)

आगंतुक प्रबन्ध नियम

प्रतिलिपि नियमित को सुनार्थ एवं आवश्यक नियमित हेतु प्रेषित है।

1. उत्तरांशीय, राजराजनीति राजनीति, जिल्हा।
2. संघानीय गुरुद्वारा अधिकारी (पवरा) जोन -- अजपैर विद्युत वितरण नियम नियमित
3. अधीक्षण अधिकारी (पवरा) अजपैर विद्युत वितरण नियम नियमित

C:\Windows\Temp\

5x Acct
18/11/